तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 4/2023 GCMS No. 2023/17 **उनवानी सन्तोष देवी बनाम सूरज कंवर आदि** **अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955**	
01.07.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादीया को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादीया हाजिर आये। अधिवक्ता वादीया को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीया को प्रतिवादीगण की तामील करवाये जाने हेतु बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादीया ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवाई है। इससे जाहिर होता है कि वादीया को प्रतिवादीगण की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार–बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादीया का वाद तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारीज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)	